

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

“सार्वजनिक सूचना”

डी0एड0 परीक्षा अक्तूबर-2011 के परिणाम एवं रि-अपियरिंग परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र भरने सम्बन्धी जानकारी हेतु

डी0एड0 द्वितीय सैमेस्टर एवं प्रथम सैमेस्टर/द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर) परीक्षा अक्तूबर-2011 के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 28-1-2012 को घोषित किया जा रहा है ।

परीक्षार्थी अपने परिणाम की जानकारी निम्नलिखित वेबसाईट के माध्यम से दिनांक 28-1-2012 को प्रातः 7.00 बजे से प्राप्त कर सकते हैं :-

1. <http://hbse.nic.in>
2. <http://bseh.gov.in>
3. www.indiaresults.com
4. www.educationgateway.co.in
5. www.examresults.net
6. www.schools9.com

इस परीक्षा की परिणाम शीट (Performance Sheets) तथा रि-अपीयरिंग परीक्षार्थियों की आगामी परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र, इनसे सम्बन्धित निर्देश एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र सम्बन्धित संस्थाओं को दस्ती वितरित करने हेतु बोर्ड के सभी जिला समन्वय केन्द्रों को दिनांक 30-1-2012 को भेजे जाएंगे । सभी संस्थाएं अपनी संस्था से सम्बन्धित उपरोक्त दस्तावेज दिनांक 30-1-2012 को बाद दोपहर से अपने-अपने जिले में स्थित बोर्ड के जिला समन्वय केन्द्र से प्राप्त कर लें । सभी शिक्षण संस्थाओं द्वारा हिदायतों अनुसार रि-अपीयर परीक्षार्थियों के पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क HDFC बैंक में जमा करवाने के उपरान्त शुल्क जमा करवाने के चालान की निर्धारित प्रति सहित अपने जिला के समन्वय केन्द्र पर ही जमा करवाए जाने हैं ।

भरे हुए आवेदन-पत्र जमा करवाने के लिए निर्धारित तिथियां एवं परीक्षा शुल्क का विवरण निम्नलिखित है :-

परीक्षा शुल्क : 500/-रूपये प्रति परीक्षार्थी

आवेदन-पत्र जमा करवाने की तिथियां :

i)	बिना विलम्ब शुल्क	13.02.2012 तक
ii)	100/-रूपये प्रति परीक्षार्थी विलम्ब शुल्क सहित	21.02.2012 तक
iii)	300/-रूपये प्रति परीक्षार्थी विलम्ब शुल्क सहित	28.02.2012 तक
iv)	1000/-रूपये प्रति परीक्षार्थी विलम्ब शुल्क सहित	06.03.2012 तक

बिना विलम्ब शुल्क आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 13-2-2012 के उपरान्त यदि किसी परीक्षार्थी का आवेदन-पत्र अपरिहार्य कारण से भेजना रह जाता है तो सम्बन्धित संस्था ऐसे आवेदन-पत्र विलम्ब शुल्क सहित बनती कुल राशि HDFC बैंक में जमा करवाकर शुल्क जमा करवाने के चालान की निर्धारित प्रति सहित सीधे बोर्ड मुख्यालय में ही जमा करवाएं ।

सचिव